Vol 5 Issue 4 May 2015
ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

......More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.org

International Recognized Double-Blind Peer Reviewed Multidisciplinary Research Journal
Indian Streams Research Journal
ISSN 2230-7850 Impact Factor : 3.1560(UIF)
Volume - 5 | Issue - 4 | May - 2015 Available online at www.isrj.org

तृणमूल स्तर पर जनजातीय समाज में राजनीतिक समाजीकरण बालाघाट जिले के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन

सुनीता बघेले
आई.सी.एस.एस.आर. डॉक्टोरल फैलो म. प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान उज्जैन.

सारांश

राजनीतिक समाजीकरण एक ओर मानव आवश्यकताओं को एवं आकांक्षाओं के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित करने के लिए नियोजित संस्थात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। पंचायत राज के क्रियान्वयन से जनजातीय समाज में जहाँ एक ओर राजनीतिक समाजीकरण को गति मिली है एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, पेयजल, आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य पंचायतों द्वारा किए गए हैं वहीं परम्परागत सामाजिक, राजनीतिक संरचना में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। जनजातीय समाज का एक बड़ा भाग अपनी जन्मस्थिति, निर्धनता, अशिक्षा, लिंगभेद तथा उच्च कुलीन वर्गो द्वारा थोपी गई सामाजिक मान-मर्यादाओं के कारण क्षेत्र के नीति निर्धारण के पदों एवं अधिकारों से वंचित था। उसे आरक्षण के माध्यम से इन पदों एवं अधिकारों की प्राप्ति हुई है जिसने इन परिवर्तनों को जन्म दिया है। प्रस्तुत शोध पत्र मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के जनजातीय बाहुल्य दो विकासखण्ड, बैहर तथा बिरसा को चयनित किया गया है। यहाँ जनजातीय विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर अनेक कार्य सरकारी एवं गैर-सरकारी तौर पर किया जा रहा हैं जिससे जनजातीय समाज में आये परिर्वतनों का अध्ययन, की महती आवश्यकता है। इन चयनित विकासखण्डों से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले पांच-पांच ग्राम चयनित किये गये। इस प्रकार १० ग्रामों में से प्रत्यके ग्राम से १८ जनजातीय ग्राम सभा सदस्य एवं ६ गैर-जनजातीय ग्राम सभा सदस्यों को यादृच्छिक आधार पर चयनित किया गया। इस प्रकार १० ग्रामों से १८० जनजातीय ग्राम सभा सदस्य एवं ६० गैर-जनजातीय ग्रामसभा सदस्यों का चयन अध्ययन हेतु किया गया। अतः निदर्शन का कुल आकार २४० है।

Key Words: पंचायत राज्य व्यवस्था, ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, राजनीतिक समाजीकरण.

Article Indexed in :
DOAJ Google Scholar DRJI
BASE EBSCO Open J-Gate

प्रस्तावना–

राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक समुदाय के सदस्य अपने समाज की संस्कृति को आत्मसात करते हैं। इसके अन्तर्गत वे अपने शैशव काल से ही ऐसी अभिवृत्तियाँ, मान्यताएँ और व्यवहार के नमूने सीख लेते हैं जिनसे वे अपने समुदाय की राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को वैधता प्रदान करते हैं। अतः राजनीतिक समाजीकरण के परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने समाज के राजनीतिक जीवन के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण बनाता है, अपने समाज, राष्ट्र या राज्य के प्रति निष्ठा और सत्ता के प्रति लगाव का भाव विकसित करता है (गेना, २००८: ४००)।

इस प्रक्रिया में व्यक्ति परिवार मित्र मंडली, शिक्षा संस्थान और अन्य बड़े–बड़े समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागरिक तथा राजनीतिक जीवन में सहभागिता जनसम्पर्क के साधनों के प्रभाव तथा अनेक सभा संगठनों की उपस्थिति से इसकी पुष्टि होती है। राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से समाज अपने राजनीतिक मानकों, मान्यताओं और विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता है। यह जरूरी नहीं है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सभी व्यक्ति बने बनाए सांचों में ढल जाएं, परन्तु इससे राजनीतिक जीवन में निरंतरता बनी रहती है, और राजनीतिक प्रणाली नए दबावों और तनावों को सहन करने की क्षमता विकसित कर लेती है। इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण को पदबंध का ऐसा सिद्धान्त मानना चाहिए जो व्यक्तियों के मन में मूल्यों, मानदण्डों तथा प्रवृतियों को विकसित करना चाहता है, ताकि उनमें अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास विकसित हो और उससे वे स्वयं को सुक्रियाशील नागरिक की तरह बना सके तथा साथ ही अपने उत्तराधिकारियों के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ सके (धर्मवीर, २००८: ११४)।

भारत विविधताओं का देश है। यह सच्चे अर्थो में समुदायों का एक समुदाय है। इन समुदायों में से एक है जनजातीय समुदाय जिनकी अपनी जीवन शैली है। इनके विशिष्ट रीति–रिवाज एवं संस्कृति की अपनी पहचान है। ये लोग सदियों से अलगाव की स्थितियों में राष्ट्र की मुख्यधारा से पृथक रहे हैं। इन अलगाव की स्थितियों ने उन्हें असमानता, शोषण एवं निम्न स्थिति का जीवन जीने पर विवश किया है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् जनजातीय समुदायों को राजनीतिक सहभागिता का अवसर प्रदान करने के लिए तीन प्रकार की व्यवस्थाओं को मुख्य रूप से अपनाया गया है। प्रथम, जनजातीय समुदाय की सामाजिक–आर्थिक उन्नति के लिए शैक्षणिक कल्याणकारी योजनायें, द्वितीय, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था, इस नीति के अधीन जनजातीय समुदाय के सदस्यों के लिए सभी प्रकार की नौकरियों में स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं तथा पदोन्नति की विशेष सुविधा भी प्रदान की गयी है, तृतीय राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था। इसी क्रम में जनजातीय समुदायों के राजनीतिक समाजीकरण को बढ़ाने में पंचायत राज व्यवस्था, गैर–जनजातीय समाज से सम्पर्क, शिक्षा एवं संचार के साधन शक्तिशाली अंग माने जा रहे हैं। इन माध्यमों से जनजातीय समुदायों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है तथा परम्परागत सामाजिक संरचना परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र हुई है एवं आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

अध्ययन का उद्देश

१.स्थानीय राजनीति की प्रक्रिया के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करना;
२.पंचायत व्यवस्था एवं अन्य राजनीतिक संस्थाओं के प्रति जागरूकता एवं सहभागिता का मूल्यांकन करना;
३.राजनीतिक समाजीकरण के कारण समुदाय की स्थिति में आये परिवर्तनों एवं प्रभावों का आंकलन करना;

अध्ययन का समग्र

प्रस्तुत शोध पत्र हेतु समग्र के रूप में मध्यप्रदेश राज्य के बालाघाट जिले का चयन किया गया है। बालाघाट जिला जनजातीय बाहुल्य जिला है अध्ययन हेतु सर्वाधिक जनजातीय बाहुल्य दो विकासखण्ड, बैहर तथा बिरसा

को चयनित किया गया है। इन चयनित दो विकासखण्डों से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले पांच-पांच ग्राम चयनित किये गये। इस प्रकार दो विकासखण्डों में से कुल १० ग्राम को अध्ययन हेतु चुना गया।

अवलोकन की इकाई एवं निदर्शन का आकार

अवलोकन की इकाई जनजातीय एवं गैर जनजातीय ग्राम सभा सदस्य हैं। गैर जनजातीय सदस्यों के चयन का कारण तुलनात्मक अध्ययन करना है। अध्ययन हेतु कुल १० ग्रामों में से प्रत्यके ग्राम से १८ जनजातीय ग्राम सभा सदस्य एवं ६ गैर-जनजातीय ग्राम सभा सदस्यों को यादृच्छिक आधार पर चयनित किया गया। इस प्रकार १० ग्रामों से १८० जनजातीय ग्राम सभा सदस्य एवं ६० गैर-जनजातीय ग्रामसभा सदस्यों का चयन अध्ययन हेतु किया गया। अतः निदर्शन का कुल आकार २४० है।

स्थानीय स्वशासन एवं जनजातीय समाज में राजनीतिक समाजीकरण

संविधान के ७३वें संशोधन अधिनियम को २६ अप्रैल, १९९३ को सम्पूर्ण देश में लागू किया गया तथा सभी राज्यों को एक वर्ष के अंदर इस पर अपने कानून बनाने के लिए कहा गया। मध्यप्रदेश में २४ जनवरी, १९९४ को इसके परिपालन में अधिनियम बनाया गया जिसका नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९९३ रखा गया। प्रदेश में ग्रामीण विकास में जनसहभागिता को अधिक से अधिक बढ़ाने के क्रम में वर्ष २००१ में एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम स्वराज व्यवस्था को स्थापित किया गया तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९९३ का नाम बदलकर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ कर दिया गया (सिसोदिया एवं भट्ट, २०११: ३४)।

७३वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (१९९३) पंचायत राज्य व्यवस्था की अब तक की यात्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने ७३वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप राज्य का पंचायत विधान बनाया तथा उसका परिपालन किया। मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९९३ के प्रावधान अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जिसके अनुसार ग्राम, जनपद एवं जिला स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण किया गया है।

जनजातीय समुदाय की इन्हीं विशेषकृत सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण संविधान निर्माताओं ने इस समुदाय को विशिष्ट संवैधानिक स्थान प्रदान किया। इस तरह से संविधान के भाग (ग) में 'अनुसूचित एवं आदिवासी क्षेत्र' शीर्षक से यह प्रावधान किया गया कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से पृथक प्रशासनिक व्यवस्था होगी। ऐसे क्षेत्र जहाँ जनजातीय लोगों का बाहुल्य है अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए भारतीय संविधान की धारा २४४ (६) में प्रावधान एवं नियन्त्रण हेतु विशेष प्रावधान किए गए है (सिसोदिया एवं भट्ट, २०११: ७२-७४)।

मध्यप्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन), 1997 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान (पेसा अधिनियम)

इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य बना, जिसने पंचायत राज विधान में मध्यप्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९९७ के माध्यम से एक अध्याय १४ क जोड़ा है जिसमें ग्रामसभा की रचना, ग्राम पंचायत, अनुसूचित जनजाति स्थानों के आरक्षण की विधि के साथ अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायत राज संस्थाओं के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है।

इस नए अधिनियम के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायत राज प्रणाली को जनजातीय समाज की बुनियादी परम्पराओं तथा प्रथागत् कानून के अनुरूप ढाला गया है। सरल शब्दों में कहा जाये तो जनजातीय समुदाय की परम्परागत 'जाति पंचायत' को ही कानूनी रूप में ग्राम सभा का दर्जा दिया गया, जहाँ सब लोग एक

जगह बैठकर आपस में मिल-जुल कर स्वेच्छा से सामाजिक, धार्मिक सांस्कृतिक फैसले लेने में सक्षम हों (सिसोदिया एवं भट्ट, २०११: ८०-८८)।

पंचायत राज संस्थाओं को जहाँ जनजातीय समाज से सम्बन्धित सभी विषयों को हस्तांतरित कर विकास की प्रक्रिया को निम्न स्तर से प्रारम्भ करने की सार्थक पहल की है वहीं ग्राम स्वराज के माध्यम से अधिकाधिक जनसहभागिता प्राप्त करने का प्रयास भी किया गया है। आरक्षण के माध्यम से जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिलाओं को भी आगे आने का अवसर प्रदान किया है। इस पृष्ठभूमि में उत्तरदाताओं से सामान्य जानकारी ली गयी। जिसे सारणी क्रमांक १ मे वर्गीकृत किया गया है।

सारणी क्रमांक 1
ग्राम सभा के बारे में जानकारी

क्र सं.	ग्राम सभा के बारे में जानकारी	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)
१	हाँ	१७७ (८१.७)	४४ (७३.३)
२	नहीं	३३ (१८.३)	१६ (२६.७)
	कुल	१८० (१००)	६० (१००)

सारणी क्रमांक १ से स्पष्ट है कि ८१.७ प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता को ग्राम सभा के बारे जानकारी हैं जबकि ७३.३ प्रतिशत गैर-जनजातीय उत्तरदाता ग्राम सभा के बारे जानते हैं। अतः स्पष्ट है कि जनजातीय उत्तरदाता को गैर-जनजातीय उत्तरदाता की अपेक्षा ग्रामसभा के बारे मे अधिक जानकारी है।

ग्राम सभा की बैठक

ग्राम सभा की बैठकों के बारे में सूचना के संदर्भ में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी। प्राप्त तथ्यों को सारणी क्रमांक २ में प्रदर्शित किया गया।

सारणी क्रमांक 2
ग्राम सभा के बैठकों की सूचना

क्र सं.	ग्राम सभा की बैठकों की सूचना	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)
१	हॉ	९४ (५२.२)	४३ (७१.७)
२	नही	८६ (४७.८)	१७ (२८.३)
	कुल	१८० (१००)	६० (१००)
यदि हॉ तो बैठकों में नियमित भाग लेते है?			
१	हॉ	७८ (८२.९)	३० (६९.७)
२	नही	१६ (१७.०)	१३ (३०.२)
	कुल	९४ (१००)	४३ (१००)

सारणी क्रमांक २ से स्पष्ट होता है कि ५२.२ प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाताओं को ग्राम सभा के बैठकों की सूचना मिलती है। ८२.९ प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता नियमित ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेते हैं, तथा

१७.० प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता को सूचना मिलने के बाद भी नियमित ग्राम सभा की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। वहीं ७१.७ प्रतिशत गैर-जनजातीय उत्तरदाता को ग्राम सभा के बैठकों की सूचना मिलती है। ६६.७ प्रतिशत गैर-जनजातीय उत्तरदाता नियमित ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेते है, तथा ३०.२ प्रतिशत गैर-जनजातीय उत्तरदाता को सूचना मिलने के बाद भी नियमित ग्राम सभा की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। स्पष्ट है कि लगभग आधे जनजातीय उत्तरदाताओं को ग्राम सभा की बैठक की नियमित सूचना मिलती हैं। और उसमें अधिकांश उत्तरदाता ग्राम सभा कि बैठक में नियमित भाग लेते हैं। जनजातीय उत्तरदाताओं के मुकाबले ग्राम सभा कि बैठक कि सूचना गैर-जनजातीय सदस्यों को अधिक मिलती हैं। लेकिन उनकी सहभागिता की स्थिति जनजातीय के मुकाबले कम है।

नियमित भाग नहीं लेने के कारण

जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठकों में नियमित भाग नही ले पाने के कारणों के बारे मे उत्तरदाताओ से पूछा गया जिसे सारणी क्रमांक ३ में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी क्रमांक 3
नियमित भाग नहीं लेने के कारण

क्र सं.	नियमित भाग नहीं लेने के कारण	जनजातीय आवृत्ति(प्रतिशत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)
१	खेती/कार्यो में व्यस्तता	३५ (१९.४)	६ (१०.०)
२	सूचना का अभाव	१०३ (५७.२)	३४ (५६.७)
३	जानबूझकर नहीं जाते हैं	८ (४.४)	६ (१०.०)
४	जाने से कोई लाभ नहीं	१७ (९.४)	९ (१५.०)
५	कोई आपकी बात नही सुनता	१७ (९.४)	५ (८.३)
	कुल	१८० (१००)	६० (१००)

सारणी क्रमांक ३ के अवलोकन से स्पष्ट है कि १९.४ प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता खेती/मजदूरी अथवा अन्य गृहकार्यों की व्यस्तता के कारण ग्राम सभा की बैठकों में नियमित भाग नहीं ले पाते हैं, ५७.२ प्रतिशत का मानना है कि बैठक के आयोजन की नियमित सूचना न मिल पाने के कारण ग्राम सभा कि बैठकों में भाग नहीं ले पाते हैं, ४.४ प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता ऐसे भी है जिनका कहना है कि वे जानबूझकर बैठक में नहीं जाते हैं, ९.४ प्रतिशत का मानना है कि ग्राम सभा कि बैठकों में जाने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए वे नियमित भाग नहीं लेते हैं एवं इतने ही प्रतिशत का मानना है कि उनकी बात कोई नही सुनता इसलिए वे नियमित ग्राम सभा की बैठकों में नहीं जाते हैं जबकि १०.० प्रतिशत गैर-जनजातीय उत्तरदाता खेती/मजदूरी अथवा अन्य गृहकार्यों की व्यस्तता के कारण ग्राम सभा कि बैठकों में नियमित भाग नही ले पाते हैं, ५६.७ प्रतिशत का मानना है कि बैठक के आयोजन की नियमित सूचना न मिल पाने के कारण ग्राम सभा कि बैठकों में भाग नहीं ले पाते हैं, १०.० प्रतिशत गैर-जनजातीय उत्तरदाता ऐसे भी है जिनका कहना है कि वे जानबूझकर बैठक में नहीं जाते हैं, १५.० प्रतिशत का मानना है कि ग्राम सभा कि बैठकों में जाने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए वे नियमित भाग नहीं लेते हैं। ८.३ प्रतिशत गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं का मानना है कि उनकी बात कोई नहीं मानते इसलिए वे नियमित ग्राम सभा की बैठकों में नहीं जाते हैं।

स्पष्ट है कि ५७.२ प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाताओ का मानना है कि सूचना के अभाव के कारण नियमित ग्राम सभा की बैठक में भाग नही लेते हैं जबकि गैर-जनजातीय उत्तरदाता का मानना है कि सूचना के

अभाव एवं जाने से कोई लाभ नही है, खेती कार्यो में व्यस्तता के कारण ग्रामसभा कि बैठकों में नियमित भाग नही ले पाते हैं।

ग्राम सभा की बैठक में भूमिका

उत्तरदाताओं से ग्राम सभा की बैठकों में उनकी भूमिका के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की गयी। प्राप्त तथ्यों को सारणी क्रमांक ४ में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी क्रमांक 4
ग्राम सभा की बैठक में भूमिका

क्र. सं.	ग्राम सभा की बैठक में भूमिका	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)’
१	प्रस्ताव रखते हैं	६० (५०.०)	२७ (४५.०)
२	विभिन्न प्रस्तावों पर अपने विचार रखते हैं	८६ (४७.८)	३१ (५१.७)
३	सुझाव देते हैं	६१ (५०.६)	३८ (६३.३)
४	ग्राम की समस्याओं या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगाार, पर अपना अभिमत देते हैं	१०२ (५६.७)	३४ (५६.७)
५	ग्राम के निर्माणाधीन कार्यो पर चर्चा करते हैं	११० (६१.१)	४० (६६.७)
६	नई योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं	१०२ (५६.७)	४१ (६८.३)
७	शासकीय योजनाओं हेतु अपना नाम लिखवाते हैं	१०५ (५८.३)	४५ (७५.०)

’बहुविकल्पीय प्रश्न

सारणी क्रमांक ४ से स्पष्ट है कि ५०.० प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता प्रस्ताव रखते हैं, ४७.८ प्रतिशत उत्तरदाता समान रूप से विभिन्न प्रस्तावों पर अपने विचार रखते एवं ग्राम की समस्याओं या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपना अभिमत रखते हैं। ५०.६ प्रतिशत उत्तरदाता विभिन्न प्रकार के सुझाव देते हैं। ६१.१ प्रतिशत उत्तरदाता ग्राम के निर्माणाधीन कार्यों पर चर्चा करते हैं, ५६.७ प्रतिशत नई योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, ५८.३ प्रतिशत उत्तरदाता शासकीय योजनाओं हेतु अपना नाम लिखवाते है जबकि ४५.० प्रतिशत गैर-जनजातीय उत्तरदाता प्रस्ताव रखते हैं, ५१.७ प्रतिशत उत्तरदाता से विभिन्न प्रस्तावों पर अपने विचार रखते है। ५६.७ प्रतिशत उत्तरदाता ग्राम की समस्याओं या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपना अभिमत रखते हैं। ६३.३ प्रतिशत उत्तरदाता विभिन्न प्रकार के सुझाव देते हैं। ६६.७ प्रतिशत ग्राम के निर्माणाधीन कार्यों पर चर्चा करते हैं, ६८.३ प्रतिशत नई योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, ७५.० प्रतिशत गैर-जनजातीय उत्तरदाता शासकीय योजनाओं हेतु अपना नाम लिखवाते हैं। अतः स्पष्ट है ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले उत्तरदाताओं की सहभागिता की स्थिति ठीक है वे किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं इनमें निर्माणाधीन कार्यो पर चर्चा, ग्राम की समस्याओं पर चर्चा एवं नई योजना की जानकारी प्राप्त करना प्रमुख हैं।

सारणी क्रमांक 5
पंचायत राज व्यवस्था ने राजनीतिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया?

क्र. सं.	पंचायत राज व्यवस्था ने राजनीतिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है?	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)
१	राजनीतिक अभिरुचि बढ़ी है।	१६२ (९०.०)	४१ (६८.३)
२	राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव आया/वृद्धि हुई है।	१७० (९४.४)	५४ (९०.०)
३	मतदान व्यवहार में परिवर्तन आया है।	१६१ (८९.४)	४२ (७०.०)
४	दलीय निष्ठा में परिवर्तन हुआ है।	१५७ (८७.२)	४० (६६.६)
५	मतदान का आधार प्रत्याशी और कार्यक्रम की जगह राजनीतिक दल बन गया है।	१५९ (८८.३)	५२ (८६.६)
६	राजनीतिक दबाव की तकनीकों के प्रयोग से परिचित हुए हैं।	१३८ (७६.६)	४५ (७५.०)

सारणी क्रमांक ५ से स्पष्ट है कि जनजातीय उत्तरदाताओं में ९०.० प्रतिशत मानते है कि पंचायत राज व्यवस्था से राजनीतिक अभिरुचि बढ़ी है, ९४.४ प्रतिशत के मतानुसार पंचायत राज व्यवस्था से राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव आया, वृद्धि हुई और हम लोगों को चुनाव लडने का मौका मिला है, ८९.४ प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि पंचायत राजव्यवस्था से मतदान व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, ८७.२ प्रतिशत स्वीकार करते हैं पंचायत राज व्यवस्था से हमारे दलीय निष्ठा में परिवर्तन आया है, ८८.३ प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि इन संस्थाओं से मतदान का आधार प्रत्याशी और कार्यक्रम की जगह राजनीतिक दल बन गया है, इसी क्रम में ७६.६ प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि पंचायत राज संस्थाओं से राजनीतिक दबाव की तकनीकों के प्रयोग से हम लोग परिचित हुए हैं जबकि गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं में ६८.३ प्रतिशत मानते है कि पंचायत राज व्यवस्था से राजनीतिक अभिरुचि बढ़ी है, ९०.० प्रतिशत के मतानुसार पंचायत राज व्यवस्था से राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव आया, वृद्धि हुई और हम लोगों को चुनाव लडने का मौका मिला है, ७०.० प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि पंचायत राजव्यवस्था से मतदान व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, ६६.६ प्रतिशत स्वीकार करते हैं पंचायत राज व्यवस्था से हमारे दलीय निष्ठा में परिवर्तन आया है, ८६.६ प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि इन संस्थाओं से मतदान का आधार प्रत्याशी और कार्यक्रम की जगह राजनीतिक दल बन गया है, इसी क्रम में ७५.० प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि पंचायत राज संस्थाओं से राजनीतिक दबाव की तकनीकों के प्रयोग से हम लोग परिचित हुए हैं। स्पष्ट है कि पंचायत राज संस्थाओं से जनजातीय समाज में राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव आया है एवं वृद्धि हुई है तथा उनकी राजनीतिक अभिरुचि बढ़ी है।

पंचायत राज संस्थाओं द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में अनेक कार्य किये जा रहे है जैसे-आर्थिक विकास, राजनीतिक चेतना, रातनीतिक सहभागिता, जिससे जनजातीय समाज दिनो-दिन प्रभावित हो रहा है एवं राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हो रही है। इसी पृष्ठभूमि में जनजातीय समाज पर पंचायत राज व्यवस्था का प्रभाव के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी। सर्वाधिक उत्तरदाता स्वीकार कारते है कि पंचायत राज संस्थाओं से हमारे समाज में राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव आया है एवं उनकी राजनीतिक अभिरुचि बढ़ी है या वृद्धि हुई है।

विशलेषण से स्पष्ट है। कि पंचायत राज व्यवस्था ने जनजातीय समुदाय के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना को प्रभावित कर उनमें बुराइयों एवं कुरीतियों के प्रति जागरूकता के प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय कार्य किया है। साथ ही जनजातीय समाज में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सन्दर्भ

१.गेना, सी बी (२००८), तुलनात्मक राजनीति, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि. नोएडा (यू. पी.)।
२.धर्मवीर, डॉ. (२००८), राजनीतिक समाजशास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
३.खेत्रपाल, बी सी (२०१०): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम १९९३, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर।
४.रामप्यारे, (१९९१): हरिजन युवकों राजनीतिक समाजीकरण, मितल पब्लिकेशन्स,नई दिल्ली ।
५.सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह एव भट्ट आशीष (२०११): मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था : विविध आयाम,म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
६.भट्ट, आशीष (२००२): लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं उभरता जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
७.गुप्ता, मंजू (२००३): जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक उथान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली ।

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org